

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी भादरा मुकाम भादरा


स्टेट

बनाम

तिलोक सिंह आदि

किरम मुकदमा :- 212 आरटीएनट

मुकदमा नम्बर :- 26/25

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुकम की लागू जारी हुआ
2025	<p>आज यह स्थगन प्रार्थना पत्र प्रार्थी राज परोकार तहसीलदार भादरा द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र पर सिगेदार की रिपोर्ट होने के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी की एक पक्षीय वहस सुनी गई। प्रार्थी तहसीलदार भादरा को सुना जाकर पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजातों (जमावंदी, पटवार हल्का रिपोर्ट दिनांक 12.03.2025) का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेज तथा शपथ पत्र प्रार्थी से सन्तुष्ट होकर आगामी पेशी तक अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे विवादित रकबा रोही मौजा डावडी के खाता सं० 452/4 के खसरा सं० 895/631 की 1.5170है० वारानी खातेदारी कृषि भूमि में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य, फैंकट्री का संचालन व अकृषि कार्य ना करें तथा रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनायें रखे। वाफ्कोस कार्य DILRMP कार्य, रास्ता व खाला पर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। तहसीलदार भादरा को रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनायें रखने हेतु तहरीर जारी हो। इस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का उज्र एतराज हो तो असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु 15/4/25..... को पेश हो।</p>	
25/4/25	<p>पत्रावली पत्र डी वकील करि उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा की तालिका दी सुनी है। पत्रावली वास्तु जवाब अस्थाई सं०। दिनांक 21/4/25 को पेश हो।</p>	
21/4/25	<p>पत्रावली पत्र डी वकील अस्थाई उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा उक्त पत्रावली वास्तु जवाब अस्थाई अस्थाई अस्थाई दिनांक 22/4/25 को पेश हो।</p>	
22/4/25	<p>पत्रावली पत्र डी वकील अस्थाई उक्त पत्रावली वास्तु जवाब अस्थाई अस्थाई अस्थाई दिनांक 28/4/25 को पेश हो।</p>	

मुख्य हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इमीशियल जज

सम्बन्धित कार्यवाही की हुक्म की तारीख जारी हुआ

25/8/25

कीलवाही/प्रतिवादी/प्राथी/अप्राथी उप.
प्राथी मय आदेशानुसार वास्ते... 70R रिपोर्ट
दिनांक... 6/9/25 को पेश हो।

30/25

प्राथी के अर्पना - पत्र पर पत्राली
को जेशी में लिपि गया। - अर्पना
अर्पना पर से संवर्धित मूल खास
का निस्तारण किया जा चुका
है अतः अर्पना - पत्र 214/KTA
एवर है अर्पित्यहीन होने
के कारण अर्पना - पत्र 212/KTA
वर्तमान स्वर पर जारी
किया जाता है।
पत्राली नक्का ले काम को
भासत खास नक्कमील सारिपन
द्वारा है।

(KALPET SHARMA)
उप-निदेशक (सजस्य)
भादरा (जिला-इनुमानगढ़)